श्री श्री राम जानकी जी स्थान तपोवन

मंदिर और अन्य

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 4003)

मई 01, 2019

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और हेमन्त गुप्ता, जे.जे.]

जांच: देवता की भूमि का हस्तांतरण - प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा स्थानांतरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका - प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा ट्रस्टियों द्वारा की गयी कथित स्थान्तरण के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकारी से शिकायत नहीं की गई थी न ही सम्बंधित पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिससे रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया की पहल की जा सकें- उच्च न्यायालय ने माना कि मूल ट्रस्ट डीड में देवता की संपत्ति को स्थानतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन नया ट्रस्ट डीड गुप्त उद्देश्य से तैयार किया गया जिससे देवता की संपत्ति हड़पा जा सकें और देवता की भूमि का अवैध हस्तांतरण करने में आसानी हो - उच्च न्यायालय ने आगे कहा की वहां बड़े पैमाने पर अवैधता थी जिसकी जांच करना आवश्यकता है और सीबीआई को मंजूरी देने में अपराधिकता वाले हिस्से की जांच करने का निर्देश दिया - तत्काल अपील में, ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी की

धार्मिक न्यास बोर्ड ने संपत्ति के स्थानांतरण की मंजूरी दे दी है - धारित: बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 44,1950 बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेने के बाद किसी धार्मिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति देता है - ऐसी अनुमति वह है जो ट्रस्ट की संपत्ति को जिला न्यायधीश की स्वीकृति से, जो अधिनियम की धारा 28 (जे) में है, से परिवर्तित करें - इस प्रकार, उच्च न्यायालय का देवता की भूमि हस्तांतरण के एक कृत्य पर संदेह पैदा करना उचित नहीं था - देवता में संपत्ति का निहित होना धार्मिक बंदोबस्ती है लेकिन इसमें कोई

सार्वजनिक तत्व नहीं है, जिसकी शिकायत है जनहित में दायर रिट याचिका में की जा सकती है - उच्च

न्यायालय ने एक आदेश पारित कर मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया इस खोज को लौटाते हुए हुए कि ट्रस्ट द्वारा गलत बयानी और धोखाधड़ी अनुमति प्राप्त की गई थी - उच्च न्यायालय को पूरी तरह से स्वयं को सी बी आई को यह निर्देश देने में गलत दिशा दी थी जिसमे किसी धार्मिक व्यक्ति की संपत्ति बेचने के ट्रस्टियों के अधिकारों से संबंधित मामला हो जो नागरिक विवाद को जन्म दे - उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया - बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 - धारा 44 - जनहित याचिका - ट्रस्ट - धार्मिक बंदोबस्ती

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. उच्च न्यायालय को धार्मिक निकायों की संपत्ति की कथित गलत बिक्री से सम्बंधित जनहित याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए था। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 44 किसी धार्मिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति को पूर्व अनुमति से हस्तांतरित करने की शक्ति देता है.

ऐसी अनुमति किसी ट्रस्ट की संपत्ति को अधिनियम की धारा 28 (जे) के तहत जिला न्यायाधीश की मंजूरी से परिवर्तित करने के लिए प्रदान की गयी है। अपीलकर्ताओं का पक्ष यह है कि उन्होंने अधिनियम के अनुसार अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और विवेकपूर्ण प्रबंधन कार्य के रूप में ऐसी मंजूरी मांगी गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय का देवता की भूमि को हस्तांतरित करने में संदेह पैदा करने का आदेश उचित नहीं था।

[पैरा 10,11] [143-सी-ई]

2. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि देवता

किसी भी स्थिति में अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर पाते उचित नहीं है। बहुराने वाली टिप्पणी कि आरोप सरकार के खिलाफ हैं बोर्ड जिसमें सरकारी पदाधिकारी शामिल हैं; इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सरकार या बोर्ड के ख़िलाफ़ ऐसी व्यापक टिप्पणियाँ नही की जानी चाहिए थी. सरकार में कामकाज अलग-अलग अधिकारियों

द्वारा होता है और कार्यकारी के पास अंतर्निहित जांच और संतुलन हैं। इसलिए, मात्र इसलिए की अनुमति एक पदाधिकारी द्वारा दी गयी है राज्य सरकार किसी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करेगी. उच्च न्यायालय ने इस प्रकार देवता की संपत्ति की बिक्री के मामले में सी बी आई को निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे की यात्रा की है।फिर भी, उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस के पास बिना शिकायत के भी धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति के विषय में आदेश जारी किए है [पैरा 19] [149-ई-जी]

3. सार्वजनिक व्यवस्था (प्रविष्टि 1) और पुलिस (प्रविष्टि 2) राज्य का विषय है जो संविधान की सातवी अनुसूची की सूची II में आता है. यह राज्य पुलिस की जांच एजेंसी की जांच की प्राथमिक जिम्मेदारी है की वह

अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच करें. यह जांच सारी शर्तों से संतुष्ट होने की स्थिति में अपवाद की परिस्थिति में की जानी चाहिए जिसे पश्चिम बंगाल राज्य मामले में निर्धारित किया गया है. ऐसी शक्तियों का प्रयोग नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए बगैर जटिलताओं, अपराध की प्रकृति और जांचों में धीमी प्रगति जिसमे खुद राज्य जांच एजेंसी के अधिकारी शामिल है, को जांचे. [पैरा 20] [150-ए-सी]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण की समिति, पश्चिम बंगाल और

अन्य (2010) 3 एससीसी 571: [2010] 2 एससीआर 979 - पालन किया।

सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएँ, उ.प्र. और अन्य बनाम सहंगू राम आर्य और

अन्य (2002) 5 एससीसी 521; सुजाता रवि किरण बनाम राज्य केरल और अन्य (2016) 7 एससीसी 597: [2016] 3 एससीआर 492; के. वी. राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई और अन्य (2013) 12 एससीसी 480: [2013] 9 एससीआर 199; बिमल गुरुंग बनाम भारत का संघ (2018) 15 एससीसी 480: [2018] 4 एससीआर 843; टी.सी. थंगराज बनाम वी. एंगम्मल और अन्य (2011) 12 एससीसी 328: [2011] 9 एससीआर 647 - संदर्भित..

केस कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 979 ने पैरा 12 का पालन किया

(2002) 5 एससीसी 521 पैरा 13 को संदर्भित करता है

[2016] 3 एससीआर 492 पैरा 15 को संदर्भित करता है

[2013] 9 एससीआर 199 पैरा 16 को संदर्भित करता है

[2018] 4 एससीआर 843 पैरा 17 को संदर्भित करता है

[2011] 9 एससीआर 647 पैरा 18 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 का सिविल अपील संख्या 4003

रांची में 2017 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1590 दिनांक 07.06.2017 के झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से

जी गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ वकील, कुमार अनुराग सिंह, ज़ैन ए।

खान, कुमार शिवम, जयकृष्णन सी.डी., सुश्री तूलिका मुखर्जी,

सलाह. अपीलकर्ताओं के लिए.

<u>निर्णय</u>

हेमन्त गुप्ता, न्याय.

वर्तमान अपील झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रांची में दिनांक 07.06.2017 को पारित एक आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसमे केन्द्रीय ब्यूरो को निर्देशित करते हुए जांच कर यथाशीघ्र

उचित कार्रवाई करने तथा अधिमानतः छह महीने के भीतर जांच समाप्त करने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय ने यह माना की -

> "......यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मानता है कि देवता की भूमि को किसी भी स्थिति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इस बड़े पैमाने की अवैधता की जांच की जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन करेगा? जो जमीन और ट्रस्ट है इस मामले में संलिप्त है, वे रांची से सम्बंधित है. आरोप सरकार और बोर्ड के विरुद्ध है. बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी होते हैं.
>
> इस मामले में सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से नक़्शे स्वीकृत करने का एक अलग मुद्दा है। हम पाते हैं, कि एक जनहित याचिका, 2011 की WP(PIL) संख्या 1531 (हरियाणा) (नारायण लखोटिया बनाम. झारखंड राज्य और अन्य), में इस कोर्ट ने रांची के कई भवनों को दी गयी इस मंजूरी में आपराधिकता से सम्बंधित आयामों पर सीबीआई को पूछताछ/जांच करने का निर्देश दिया. उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है. ये भी ऐसा ही एक मामला है, जिसकी जांच की आवश्यकता है.
>
> 16. इस पृष्ठभूमि के तहत, इस न्यायालय को लगता है कि यह मामला अपराधिकता की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंपा जाए. इसमें दिनांक 20.09.2009 को निर्मित ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों के विभिन्न पहलु सम्मिलित है जिसमे भूमि का हस्तांतरण/रूपांतरण, नक्शों की मंजूरी और अन्य सभी प्रासंगिक मुद्दे शामिल है।"

2. उक्त निर्देश तब दिए गए जब यह पाया गया की रांची स्थित देवता श्री श्री राम जानकी जी तपोवन मंदिर[1] को ट्रस्ट डीड के आदेश के विरुद्ध में स्थानतरित कर दिया गया है जिसकी स्थापना संस्थापक ने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट[2] को बनाने के लिए 25.02.1948 को

की थी. उक्त ट्रस्ट पंजीकृत विलेख के आधार पर 12.05.1987 को पुनर्गठित किया गया था। आगे भी, दिनांक 20.09.2005 की डीड के माध्यम से ट्रस्ट का फिर से पुनर्गठन किया गया।

3. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा डाली गयी जनहित याचिका पर विचार किया और माना कि मूल ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे की देवता की संपत्ति का स्थानांतरण/बिक्री किया जा सके. वर्ष 2005 में एक ग़लत मंशा के तहत एक नयी ट्रस्ट डीड बनायी गयी थी जिसका उद्देश्य न देवता की संपत्ति हड़पना और सुविधा के लिए भूमि का अवैध हस्तांतरण करना था।

4. उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश, ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी द्वारा, न्यायलय के समक्ष एक चुनौती का विषय है। तर्क यह है देवता की संपत्ति के विकास और हस्तांतरण का प्रावधान है।

1. मंदिर
2. ट्रस्ट

ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों पर स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था. इसमें बेहतर रिटर्न और फंड बढ़ना भी सम्मिलित था. इस दृष्टि से संपत्ति स्थानतरित भी की गईं। बिहार राज्य धार्मिक बोर्ड से उचित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और अचल संपत्ति के स्थान्तरण के लिए न्यायिक आयुक्त ने मंजूरी दे दी है.

5. उच्च न्यायालय ने पाया कि संपत्तियाँ देवता को वर्ष 1948 में एक ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदान की गई थीं और ट्रस्टी उसके संरक्षक बन गए। 1987 का अगला ट्रस्ट डीड फिर से ट्रस्टियों को मूर्ती अथवा मंदिर की ज़मीन को हस्तांतरित करने या निपटाने से रोकता है। 1948 और 1987 के ट्रस्ट डीड महंत श्री जानकी जीवन शरण द्वारा लिखे गए थे लेकिन बाद में यानि 20.09.2005 को एक नया ट्रस्ट डीड बनाया गया। महंत श्री राम शरण दास ने उक्त ट्रस्ट डीड को पंजीकृत किया, हालांकि इसके संस्थापक स्वर्गीय जानकी जीवन शरण थे. उक्त ट्रस्ट डीड में एक खंड है जिसके द्वारा भूमि संपत्ति बेची जा सकती है।

6. उच्च न्यायलय ने पाया कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वर्ष 2006 की अनुमति बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 में दी गयी अनुमति पर आधारित थी जो में प्रदान गलतबयानी और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

7. रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के जनहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों का दावा करता है:-

> "(i) उचित रिट/आदेश जारी करने के लिए/निर्देश(ओं) या आदेश की प्रकृति में एक रिट उत्तरदाताओं पर अधिमानतः जांच करने का दायित्व है. यह राज्य की एजेंसी के अलावा एक अन्य एजेंसी का हो क्योंकि श्रीराम की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण का मामला वह है जहाँ जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों का दुरुपयोग लम्बे समय से किया गया है. सरकार की मिलीभगत से ट्रस्ट के सदस्य उसकी जमीन की बिक्री और उस पर भवन निर्माण करते रहे है. तथ्य यह है कि ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्ति राज्य के अधिकांश उच्च अधिकारियों के समर्थन से निजी व्यक्तियों के पास अवैध रूप से हस्तांतरित की गयी है।"

8. जनहित याचिका प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा दायर की गई थी जो स्वयं को देश का एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते अथवा देवता के हितों की रक्षा करने की पवित्र जिम्मेदारी के तहत की. प्रतिवादी संख्या 8 ने सम्बंधित पुलिस स्टेशन में बताए गए तथ्यों के अनुसार कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है जिसके आधार पर आपराधिक संहिता, 1973[3] के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सके. रिट याचिकाकर्ता ने किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण ट्रस्टियों द्वारा कथित हस्तांतरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की है.

9. उच्च न्यायलय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों को जांच के लिए निर्देश का आदेश पारित किया है उस अनाधिकारिक तथ्य को लौटाते हुए जिसमे कहा गया की ट्रस्ट द्वारा गलतबयानी और धोखाधड़ी से अनुमति प्राप्त की गयी। उच्च न्यायलय पुनः विवादित प्रश्नों के तथ्यों को लौटाने पर में सावधान नहीं था और वह भी जनहित याचिका की रिट पर.

10. मूर्ति में संपत्ति को संपत्ति को निहित करना एक धार्मिक बंदोबस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें सार्वजनिक तत्व है, जिसकी शिकायत दायर की गयी जनहित रिट याचिका में की जा सकती है. हम इस तथ्य से अधिक कुछ नहीं कहते कि उच्च न्यायालय को धार्मिक निकायों की संपत्ति की कथित गलत बिक्री के संबंध में ऐसी जनहित याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए था।

11. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950[4] की धारा 44 के तहत पूर्व में ली गयी अनुमति से किसी धार्मिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति का हस्तांतरण बोर्ड से किया जा सकता है. ऐसी अनुमति ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति को बाद में परिवर्तित करने के लिए होती है जिसे अधिनियम की धारा 28 (जे) द्वारा प्रदान किया गया है

---

3. संहिता
4. अधिनियम

जिसे जिला न्यायाधीश की मंजूरी से दिया जाता है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अधिनियम के अनुसार अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और विवेकपूर्ण प्रबंधन के कार्य के रूप में ऐसी मंजूरी मांगी गई है। इसलिए, देवता की भूमि की स्थानांतरण पर संदेह पैदा करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था.

12. इस सवाल के जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा मामलों के तथ्यों पर उच्च न्यायालय सीबीआई को कार्यभार संभालने का निर्देश दे सकता है. संविधानिक पीठ अपने फैसले

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य[5] ने किसी आपराधिक अपराध की जांच करने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारों पर प्रश्न उठाया है की क्या वह बिना राज्य की सहमति के ऐसी जाँच कर सकता है. इस न्यायालय ने संविधान की सातवी अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टी 2 VII की जांच की. यह माना गया कि संघ की विधायी शक्ति जिसके तहत एक राज्य के नियमित पुलिस बल को अधिकार क्षेत्र के बाहर शक्ति का प्रयोग करने के लिए उस राज्य सरकार की अनुमति चाहिए जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है। न्यायालय ने इस बात तो ठहराया की यद्यपि न्यायालय के पास संविधान की अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियाँ है, मगर इसमें स्वतः लगाई हुई कुछ सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए.

ये असाधारण संवैधानिक शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक, सावधानी से और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना अनिवार्य हो गया हो या जहां घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या ऐसा कोई आदेश हो सकता है जो पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है।

फैसले से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:-

> "70. केस से अलग होने से पूर्व हम इस बात पर जोर देना जरूरी समझते हैं कि प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 32 और 226, किसी आदेश को पारित करने में, न्यायालयों को कुछ स्वतः लागू किए गए आदेशों को ध्यान में रखना चाहिए.

5 (2010)3 SCC 571

> इन प्रावधानों में प्रदत्त बड़ी शक्तियों के प्रयोग में सावधानी होनी चाहिए. जहाँ तक सी.बी.आई. को किसी केस में जांच के आदेश देने का प्रश्न है हालांकि इन शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई अनम्य दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं तय किए जा सकते लेकिन यह बार-बार दोहराया गया है कि ऐसा आदेश सामान्य तौर पर पारित नहीं किया जाना चाहिए या सिर्फ इसलिए कि स्थानीय पुलिस ने पार्टी पर कुछ आरोप लगाया है. इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया

जाना चाहिए. इसका सावधानी से और असाधारण स्थितियों में प्रयोग हो जहाँ जांच के दौरान विश्वसनीयता प्रदान करना और आत्मविश्वास पैदा करना आवश्यक है या घटना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो जहाँ या जहां ऐसा आदेश हो पूर्ण न्याय करने के लिए और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं करने से सी.बी.आई बहुत ज्यादे मामलों से भर जायेगा जहाँ संसाधन सिमित होंगे जहाँ गंभीर मामलों की सम्पूर्ण जाँच में उसे कठिनायी हो सकती है और वह इस क्रम में असंतोषजनक जांच से अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकती है.

13. कोर्ट ने पूर्व में दो जजों की बेंच के फैसले को मंजूरी दे दी जोकि सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ.प्र. और अन्य और वी. सहंगू राम आर्य और अन्य[13] है जिसमें यह माना गया कि उच्च न्यायालय के अधीन संविधान का अनुच्छेद 226 सीबीआई द्वारा जांच कराने का निर्देश दे सकता है लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां पर्याप्त सामग्री हो जिससे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकला जा सके कि ऐसी जांच की आवश्यकता है। यह माना गया कि ऐसा अभिवचनों में ऐसी सामग्री होना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने भी इसे सही माना की अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में किसी व्यक्ति को बिना किसी पुलिसिया अथवा सी. बी. आई की बेवजह जाँच की उक्त व्यक्ति ने क्या कोई अपराध किया है या वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है शामिल है. फैसले के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:-

> “5. जबकि अनुछेद 226 के तहत उच्च न्यायलय को दी गयी शक्ति जिसके तहत वह सी बी आई जांच के निर्देश दे सकता है पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता, यह शक्ति केवल उन्हीं मामलों में प्रयोग की जा सकती किया है

6 (2002)5 SCC 521

> जहां प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री पायी गयी हो.यह पर्याप्त नहीं है की दलीलों में ऐसी सामग्री हो. इसके विपरीत, ऐसी सामग्री पर विचार करते हुए यह आवश्यक है की उच्च न्यायलय इस निष्कर्ष पर पहुंचे की अनुरोध की सामग्री जांच के निर्देश देने के लिए पर्याप्त है। यह एक

ऐसी आवश्यकता है जो स्पष्ट रूप से कामन काज़[7] के मामले से निकाली जा सकती. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में रिपोर्ट के अनुच्छेद 174 में इस प्रकार कहा है (एससीसी पृष्ठ 750, पैरा 174)

"174. दूसरी दिशा, अर्थात, दिशा 'किसी अन्य अपराध' की जांच पूरी तरह से सी.बी.आई. करेगी' ग़लत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। ज़ाहिर तौर से, जांच के लिए दिशा तभी दी जा सकती है जब कोई प्रथम दृष्टया अपराध होना पाया गया है या किसी व्यक्ति की संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है परन्तु सी बी आई को जांच के निर्देश की किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है को कानूनी तौर पर नहीं दिया जा सकता. ऐसे निर्देश 'जीवन' की अवधारणा और दर्शन के विपरीत होंगे जो संविधान के अनुछेद 21 में दिए गए है. यह निर्देश न्यायालयों के उन सभी निर्देशों के विपरीत है जिनमे 'जीवन' की अवधारणा को समझाया गया है जिससे अनुछेद 21 के अक्षरों में 'जीवन' का समावेश किया गया।"

6. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह ज्ञात होता है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में व्यक्ति का बिना पुलिसिया हस्तक्षेप और सी बी आई द्वारा बेवजह जांच की उक्त व्यक्ति ने किया है या नहीं या फिर वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है शामिल है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह फैसला किसी व्यक्ति के खिलाफ सी बी आई जांच हो तभी हो सकता है यदि उच्च न्यायलय रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उस सामग्री से प्रथम दृष्टया सी बी आई जांच के लिए कोई मामला नहीं है और इसे एक आम मसले के तौर पर नहीं लिया जा सकता सिर्फ इसलिए की एक पक्ष ने कुछ आरोप लगाये है. तात्कालिक मामले में, हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय बिना किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रथम दृष्टया मसला है सिर्फ "यदि" अथवा किन्तु के आधार पर आगे बढ़ी है "किन्तु" और सी.बी.आई. द्वारा जाँच को आवश्यक समझा। आदर भाव से हम सोचते हैं कि ये वह नहीं है जिसकी ज़रुरत कानूनी रूप से है जैसा की ~~न्यायालय ने द्वारा~~ 'सामान्य कारण' के मामले में बताया।

7 (1999) 6 SCC 667

14. यह उक्त निष्कर्ष हैं, जिन्हें संविधान द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में खंडपीठ (सुप्रा) में विशेष रूप से अनुमोदित किया गया था: -

> “71. लघु सिंचाई एवं ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ, उत्तर प्रदेश बनाम सहंगू राम आर्य के मामले में इस न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश उच्च न्यायलय द्वारा तभी पारित किया जाना चाहिए जब वह रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है की प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है इस मामले की जांच सी बी आई अथवा किसी अन्य एजेंसी से कराई जानी चाहिए. हम इन टिप्पणियों से आदरपूर्वक सहमत है।"

15. तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले सुजाता रवि किरण बनाम केरल राज्य और अन्य[8] ने माना कि किसी मामले में सी बी आई जांच करने के निर्देश में संवैधानिक न्यायलय अपनी असाधारण शक्तियों को विशेष स्थितियों में ही प्रयोग करे विशेषकर जब जांच एजेंसी में विश्वसनीयता की कमी हो या फिर वह राष्ट्रीय हित का मामला हो. इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:-

> “10. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए
>
> लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु समिति[9] के मामले में, इस न्यायलय ने सीबीआई से जांच कराने का निर्देश देने से सरवनन करुप्पासामी बनाम तमिलनाडू राज्य[10] और सुदीप्त लेंका बनाम ओडिशा राज्य[11] में इनकार कर दिया गया था”.
>
> 11. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हम हैं यह देखते है कि मसले को राज्य पुलिस अथवा राज्य पुलिस के विशेष टीम के अधिकारी से सी बी आई को स्थानतरित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है. तथ्य और जिन परिस्थितियों में अपराध होने का आरोप लगाया गया की जांच राज्य पुलिस द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है.राज्य पुलिस. हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए हम मानते हैं और निर्देशित करते है की केरल राज्य को पुलिस अफसरों की एक विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच कराए जिसका नेतृत्व एक ऐसे पुलिस अधिकारी करे जिनका पद पुलिस उप महानिरीक्षक के नीचे का न हो।”

8 (2016) 7 SCC 597

9 लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु समिति

10 (2014) 10 SCC 406

11 (2014) 11 SCC 527

16. अन्य तीन जजों की बेंच के फैसले राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई और अन्य[12] में यह माना गया कि न्यायालय किसी जांच के अधीन मामले राज्य जांच एजेंसी से किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है लेकिन यह सिर्फ दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। कोर्ट ने ऐसे उदाहरण दिए जहां राज्य प्राधिकारियों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या आरोप खुद जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों पर है, उन्हें जांच को प्रभावित करने और विश्वास पैदा करने की इजाजत दी गई।

17. अन्य दो जजों की बेंच के एक फैसले बिमल गुरुंग बनाम भारत का संघ[13] में इस न्यायालय ने माना कि ऐसी जांच को स्थानांतरित दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ न्यायलय को दोनों पक्षों में न्याय करने और जनता के मस्तिष्क में विश्वास पैदा करने के लिए अनिवार्य लगता हो. न्यायलय ने निम्नानुसार अपनी बातों को रखा -

> “29. इस प्रकार यह कानून पूर्ण रूप से स्थापित करता है की जांच के स्थानांतरण के अधिकार का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जा सकता है जहाँ अदालत को यह लगता है की इससे दोनों पक्षों के बीच न्याय करने और जन मानस में विश्वास स्थापित करने के लिए यह अनिवार्य है या फिर राज्य पुलिस द्वारा की गयी जांच प्रक्रिया में विश्वसनीयता की कमी है. इन शक्तियों का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए. के.वी. राजेंद्रन बनाम अधीक्षक के मामले में इस न्यायलय ने कुछ परिस्थितियों को नोट किया जहाँ अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर, जांच का स्थान्तरण राज्य पुलिस से सी बी आई को कर सकता है जैसे:

(i) जहां राज्य के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या (ii) जहां आरोप जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ही है जिससे उन्हें जांच को प्रभावित करने का आदेश मिल सकता है, या (iii) जहां जांच प्रथम दृष्टया दागी/पक्षपाती लगता है।"

12 (2013) 12 SCC 480

13 (2018 15 SCC 480

18. पहले दो जजों की बेंच के फैसले टी.सी. थंगराज बनाम वी. एंगम्मल और अन्य[14] में यह कहा गया की इस न्यायालय ने पाया कि सिर्फ यह कारण की शिकायत एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ थी, जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नहीं सौपी जानी चाहिए. न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

"8. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले का हवाला दिया रमेश कुमारी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली[15] जिसमें इस कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया क्योंकि शिकायत एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ थी और न्यायालय का विचार था की न्याय बेहतर ढंग से पूरा होगा यदि मामला का पंजीकरण और जांच सी बी आई जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाती है.

9. इस कोर्ट की दो जजों की बेंच के फैसले रमेश कुमारी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) को इस न्यायलय की संविधानिक पीठ द्वारा मामला पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतान्त्रिक अधिकारों की सुरक्षा की समिति में बनाये गए सिद्धांतों के आलोक में अब पढ़ा जाय. संविधान पीठ ने विस्तार से उच्च न्यायलय की शक्तियों पर विचार किया है जिसके तहत वो सी बी आई को एक संज्ञेय अपराध जो अधिकार क्षेत्र के भीतर हुआ है में आदेश दे सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए की उच्च न्यायलय के पास संविधान के अनुछेद २२६ के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं और अदालतों को आगाह किया गया है कुछ स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

11. आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है और सी.बी.आई. को शिकायत की जांच करने का निर्देश

दिया है इस मंशा के साथ की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हो अथवा संविधान के भाग तीन में दी गयी मौलिक अधिकार लागू हो। हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है शिकायतकर्ता के उस मलाल के मामले में धोखाधड़ी हुई थी जिसमे तीन व्यक्ति आरोपी है. इस मामले की जांच सही ढंग से नही हो पायी है क्योकि एक आरोपी पुलिस निरीक्षक है.

14 (2011) 12 SCC 328

15 (2006) 2 SCC 677

हमारे दृष्टिकोण में यह कोई एक असाधारण परिस्थिती नहीं है जहाँ उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रयोग करने की आवश्यकता हो जहाँ वो सीधे सी बी आई जाँच के आदेश दे. यदि उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि जांच पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पी. कलैकथिरवन, एक पुलिस निरीक्षक, उनमें से एक थे आरोपी थे, तो उच्च न्यायालय को एक पुलिस अधीक्षक को सीआरपीसी की धरा 154 (3) के तहत जांच सौपनी चाहिए थी.

12. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा ड्यूटी कर रहे पुलिस पर निगरानी की जानी चाहिए और जहाँ मजिस्ट्रेट को यह लगे की पुलिस ने अपनी ड्यूटी को संतोषजनक ढंग से नहीं किया, वह पुलिस को सही ढंग से जांच करने के आदेश दे सकता है और उसकी निगरानी भी कर सकता है. (साकिरी वासु बनाम यूपी राज्य[16] देखें)”

19. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज यह निष्कर्ष यह है कि मूर्ती की भूमि का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता न्यायसंगत नहीं है। अपीलकर्ता अपने पक्ष के समर्थन में वैधानिक प्रावधानों पर भरोसा करता है। व्यापक टिप्पणी है कि आरोप सरकार और बोर्ड के खिलाफ हैं, जिसमें शामिल हैं सरकारी पदाधिकारी; इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है और पूरी तरह से अस्थिर हैं तथा सरकार और बोर्ड के खिलाफ ऐसी व्यापक

टिप्पणियाँ नहीं की जानी चाहिए थी. सरकार में कामकाज विभिन्न अधिकारियों द्वारा होता है और कार्यपालिका के कामकाज में अंतर्निहित अंकुश और संतुलन है. इसलिए, सिर्फ इस कारण से की किसी राज्य सरकार के अधिकारी ने अनुमति प्रदान की है, अपराधिक घटना का खुलासा नहीं कर सकता। मूर्ती की संपत्ति के मामले में सी बी आई जांच के निर्देश देने में उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे बढ़ चुका है. इसके अलावा उच्च न्यायलय ने स्थानीय पुलिस को धार्मिक न्यास की संपत्ति के विषय में निर्देश जारी किये है. ये उस स्थिति के लिए है जब कोई शिकायत न भी हो.

---

16 (2008) 2 SCC 409

20. यह ध्यान में रखा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था (प्रवेश 1) और पुलिस (प्रवेश) 2) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में आने वाला एक राज्य का विषय है। यह जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है की उसके अधिकार क्षेत्र में किये गए सभी अपराधों की वो जांच करें। जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा सकता है उन शर्तो से संतुष्ट होने पर जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में बंगाल (सुप्रा) मामले में निर्दिष्ट किया गया है. ऐसी शक्ति का प्रयोग साधारण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक की अपराध की जटिलताओं, उसकी प्रकृति और जांच में धीमी प्रगति का परीक्षण न हो जिसमे राज्य जांच एजेंसी के उच्च अधिकारी शामिल है.

21. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह निर्देश देकर कि वो धार्मिक न्यास अथवा मूर्ती को बेचने से सम्बंधित अधिकारों को देकर खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है जिससे नागरिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है। हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा रिट याचिका खारिज की जाती है।

देविका गुजराल अपील अनुमत

<u>यह अनुवाद शालिनी साबू, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>